न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/9/2020 दायर दिनांक 24.06.2020

उनवान

1. नारायण पुत्र गोकल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मांगी लाल पुत्र लछीराम जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण।

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र हर लाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. केसर पुत्री हर लाल पत्नी भंवर लाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार, कपासन।
4. उपपंजीयक अधिकारी कपासन तहसील कपासन।

प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 14.06.2022

–:निर्णयः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–2 जा0दी0 सपठित धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो एक ही परिवार के है। हमारे परिवार के पूर्वज परपितामह वरदा जी हुए जिनके दो लड़के कालुराम एवं चतरू थे। कालुराम के लडके किशना, गोकल व लच्छीराम हुए जिसमें किशना लाऔलाद फोत हुए गोकल के वादी संख्या एक व लच्छीराम के वादी संख्या 2 पुत्र है। इसी अनुसार वरदा के पुत्र चतरू के लडके हर लाल हुए जिनकी सन्तान भैरू लाल प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र व केसर प्रतिवादी संख्या 2 पुत्री है।

यह कि ग्राम मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वर्तमान जमाबन्दी दर्ज आराजी संख्या 4233 रकबा 1.85 है0 स्थित है उक्त आराजी वरदा व कालुराम जी के जीवनकाल से ही किशना, गोकल, लच्छीराम से होते हुए वादीगण नारायण व मांगी लाल के हिस्से की होकर करीब 100 साल पूर्व से वादीगण नारायण के सजरे माफिक कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर प्रतिवादी संख्या एक व दो का न कभी कब्जा काश्त रहा न वर्तमान में है। परन्तु हिस्सा बंटवारा [illegible] आराजी प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम गलत दर्ज है। उक्त आराजी के मालिक [illegible] रेकार्ड भूप्रबन्ध के आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

2950 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा थे इसके पूर्व सम्वत् 1980 में उक्त आराजी के साबिक नम्बर 1861 व 1862 व 1865 थे जो कालुराम चतरू पिता वरदा अहीर के नाम दर्ज थी।

यह कि ग्राम मुंगाना तहसील कपासन के ही हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी संख्या 4235 रकबा 1.93 है0 स्थित है उक्त आराजी वरदा के समय से हिस्सा पुत्र चतरू होकर चतरू हर लाल के कब्जे काश्त में होते हुए भैरू लाल व केसर के कब्जे में है जो बीड़ है जहां घास पैदा होती है जिससे प्रतिवादी संख्या एक व दो प्रतिवर्ष घास काट कर ले जाते है। इस प्रकार उक्त आराजी उनके कब्जे में चली आ रही है परन्तु उक्त आराजी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के नाम दर्ज की गई है उक्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नही रहा उक्त आराजी के भूप्रबन्ध पूर्व साबिक आराजी नम्बर 2951 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है जिसके सम्वत् 1980 के आराजी नम्बर 1861 व 1862 थे जो सामील खाता वरदा पुत्र कालुराम व चतरू के दर्ज थी।

यह कि उपरांकित दोनो आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तेनी है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने मनमकसूद खिलाफ कानुन बमुकाबले कब्जा रेवेन्यू रेकार्ड तैयार नही किया और मनमकसुद ही बंटवाडा कर कब्जा काश्त को नजर अन्दाज करते हुए पैमाईश में वाद कालम एक आराजी प्रतिवादी संख्या एक दो के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी पुश्तेनी उपरांकित पूर्वजों के वक्त से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसे वादीगण ने लागत लगा अंग मेहनत कर आबादान की उपजाउ मिठ्ठी भराई, जिसकी चारो सीमाओं पर वादीगण ने पत्थर पीलर पर लोहे की जाली से बाड़ बन्दी कर रखी है उक्त आराजी के पडौस पूर्व दिशा में प्रतिवादी संख्या एक व दो के कब्जे की आराजी संख्या 4235 का, पश्चिम दिशा में नारायण लाल जी दल्ला जी भैरू जी अहीर की आराजी का उत्तर दिशा में – गंगा बाई अहीर की आराजी का जिस पर कब्जा भैरू पिता लेला अहीर का है दक्षिण दिशा में हगामी पत्नी औंकार जी अहीर की आराजी का है उक्त चारों पडौसी बिच की आराजी पर अनावृत कब्जा काश्त 100 साल से भी अधिक समय से चला आ रहा है और वादीगण के पैत्रिक खातेदार काश्तकार है मौजूदा रेवेन्यू रेकार्ड इन्द्राज गलत है। आराजी संख्या 4235 रकबा 1.93 है0 जो वादीगण के नाम रेवेन्यू रेकार्ड में गलत दर्ज है। और उक्त आराजी पर पूर्वजों के वक्त से कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या एक व दो का चला आ रहा है। उक्त आराजी वादीगण के हक की न होने से प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम दर्ज करने में वादीगण का किसी प्रकार से कोई एतराज नहीं है। आराजी संख्या 4235 के पडौस पूर्व दिशा में वादीगण संख्या 2 की आराजी का , पश्चिम दिशा में वादीगण की हक कब्जे की आराजी संख्या 4233 का उत्तर दिशा में हिरा लाल, भगवान जी अहीर का दक्षिण दिशा में धुला जी, महाराम जी , नारू जी, नन्दा जी की आराजी का है।

यह की राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के कब्जे काश्त की हाल आराजी संख्या 4233 के साबिक आराजी नम्बर 2950 को प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के पिता के नाम बंटवाडा बता दर्ज कर दी व प्रतिवादी संख्या एक व दो के कब्जे की आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:28:12 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 4235 जिसके साबिक आराजी नम्बर 2951 को वादीगण के पिता के पूर्वजों गोकल लच्छीराम के नाम दर्ज कर दी जो गलत की है इसी अनुसार वर्तमान रेवेन्यू रेकार्ड गलत कायम कर दिया गया जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या एक व दो आपसी अन्य मुकदमों की वैमनश्यता के कारण नियत बदला लेने विवाद बढ़ाने के लिये उक्त आराजी संख्या 4233 रकबा 1.85 है0 जो उनके कब्जे काश्त में नहीं है नाम नुमाईसी दर्ज है को जानबुझकर वादीगण को नुकसान पहुॅचाने की गरज से रहन बह मुन्तकील करने वादीगण की उक्त आराजी कब्जे काश्त से बेदखल करने उपयोग उपभोग में बाधा पहुॅचाने व नुकसान पहुॅचाना चा रहे है। जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो आराजी के किसी भी भाग को रहन बह मुन्तकील न करें न ऐसा सौंदा करें न दस्तावेज लिखें न पंजीयन करावें न प्रतिवादी संख्या 4 पंजीयन करें। न प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की तब्दील करें वरना वादीगण को बेशूमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही होगी मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक व दो ने दिनांक 10/6/2020 को आराजी संख्या 4233 अपने नाम होने से बेंचने कब्जा हटाने की खुलेआम धमकी दी जिससे सारा रेवेन्यू रेकार्ड लिया मशवरा वकील करने से जाहीर आया कि हमारे हक कब्जे की आराजी हमारे हक कब्जे की आराजी प्रतिवादी संख्या एक, दो, के नाम व प्रतिवादी संख्या एक व दो की आराजी हमारे गलत इन्दाज है। दोनो की किस्म पहले बीड़ थी हमने आबादान कर काबिल काश्त कर दी प्रतिवादी संख्या एक दो की मौके पर बीड़ है। उपरांकित कारणों से बिनाय दिनांक 10/6/2020 से पैदा होकर निरन्तर बनी हुई है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि खातेदारी अधिकार की घोषणा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या एक दो इस अमर की जारी फरमाई जावें कि ग्राम मुंगाना हल्के बैरूनी की हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी संख्या 4233 रकबा 1.85 है0 के वादीगण खातेदारी काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त आराजी से हटाया जायें। व हम वादीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 4235 रकबा 1.93 है0 जो हमारे कब्जे काश्त में नही है हमारे नाम पर दर्ज है उक्त आराजी से हमारा नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर करने में एतराज नही है सो की जावें।

हमने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम वैष्णव व वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच ने संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया जिसकी इबारत वादीगण व प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनायी। राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत् यह निवेदन किया कि ग्राम मुंगाना तसील कपासन के हल्के बैरूनी में वाद उल्लेखित हाल आराजी संख्या 4233 रकबा 1.85 और आ0 संख्या 4235 रकबा 1.93 है0 स्थित है। उपरांकित सभी आराजीयात प्रार्थीगण/वादीगण/प्रतिवादी सं0 एक–दो की पैतृक (बापौती) है जो हमारे पूर्वजो के नाम पर सामलाती खाते से दर्ज थी और आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 4233 तब से वादी संख्या एक व दो के कब्जे काश्त में चली आ रही है व आ0 संख्या 4235 प्रतिवादी संख्या एक व दो के कब्जे काश्त में चली आ रही इसी अनुसार पूर्वज भी काबिज थे परन्तु रेवेन्यू रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त न होने से कब्जे अनुसार वाद हक घोषणा आपस में स्वीकार है। आपसी राजीनामा है कि हाल आ0 सं0 4233 हम दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम से हटा वादीगण के नाम व हाल आ0सं0 4235 दर्ज खातेदारी वादीगण के नाम से हटा प्रतिवादी सं0 एक व दो के नाम रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज किये जाना जायज है, उक्त राजीनामा हम प्रार्थीगण के बीच तय है जो स्वीकार फरमावें।

अन्त में प्रार्थना की कि राजीनामा स्वीकार फरमा वाद स्वीकार फरमावें कि ग्राम मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की हाल जमाबन्दी दर्ज आ0सं0– 4233 रकबा 1.85 है0 हम प्रतिवादी सं0 एक व दो भैरूलाल, केसर पिता हरलाल अहीर नि0 मुंगाना के नाम से हटा वादीगण सं0 एक व दो नारायणलाल पिता गोकल जी अहीर, मांगीलाल पिता लच्छीराम जी अहीर निवासी मुंगाना के समान भाग से दर्ज फरमावें व आ0 सं0– 4235 रकबा 1.93 है0 जो वादी सं0 एक व दो नारायणलाल पिता गोकल जी अहीर, मांगीलाल पिता लच्छीराम जी अहीर निवासी मुंगाना के नाम दर्ज है उनके नाम हटा भैरूलाल, केसर पिता हरलाल अहीर नि0 मुंगाना के नाम खातेदारी दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड किये जाने की डिक्री सादर फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आराजी संख्या 4235 व 4233 की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसपर तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र0सं0/09/2020 दिनांक 09.10.2020 व पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र0सं0/2020/86 दिनांक 31.12.2020 से मंगवायी गयी। तहसीलदार कपासन से जरिये पत्रांक/राजस्व/2020–21/123 दिनांक 22.02.2021 से प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. यह है कि राजस्व ग्राम मुंगाना की वर्तमान आराजी नम्बर 4233 रकबा 1.8500 है0 किस्म बारानी 2 केशर पुत्री हरलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर, भैरूलाल पुत्र हरलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर निवासी मुंगाना के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. यह है कि राजस्व ग्राम मुंगाना की वर्तमान आराजी संख्या 4235 रकबा 1.9300 है0 किस्म बी 2 नारायण पुत्र गोकल हिस्सा 1/2 जाति अहीर तथा मांगीलाल पुत्र लच्छीराम हिस्सा 1/2 जाति अहीर निवासी मुंगाना के नाम दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि उक्त आराजीयात की मौके एवं कब्जे काश्त के सम्बन्ध में उपस्थित उभयपक्ष ने अवगत कराया कि आराजी संख्या 4233 जो रिकार्ड में केशर पुत्री हरलाल हिस्सा 1/2 , भैरूलाल पुत्र हरलाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी पर नारायण पिता गोकल व मांगीलाल पिता लच्छीराम अहीर कब्जा काश्त कर रहे है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार आराजी संख्या 4235 जो रिकार्ड में नारायण पिता गोकल व मांगीलाल पिता लच्छीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी पर केसर पिता हरलाल, भैरूलाल पिता हरलाल का कब्जा काश्त है।

4. साबिक रिकार्ड सम्वत् 2012 के अनुसार गत सम्वत् 1980 के खसरा नम्बर 1861, 1862, 1865 से आराजी नम्बर 2950 एवं 2951 बने। गत सम्वत् 1980 के रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1861, 1862, एवं 1865 वरदा वल्द नाथा अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

   सम्वत् 2012 के राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा संख्या 2950 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म बीड2 हरलाल वल्द चतरू अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं आराजी नम्बर 2951 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा किस्म बीड2 गोकल, लच्छीराम पिता कालू अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

5. बंदोवस्त के अन्तर्गत वर्तमान आराजी संख्या 4233 रकबा 1.8500 है0 किस्म बारानी द्वितीय साबिक नम्बर 2950 किस्म बीड से बना है। इसी प्रकार आराजी संख्या 4235 रकबा 1.9300 है0 किस्म बीड़ द्वितीय साबिक आराजी नम्बर 2951 किस्म बीड़ से बना है।

6. यह कि उभयपक्ष ने अवगत कराया कि भूमि पैतृक है तथा कालू एवं चतरू के पिता वरदा थे, लेकिन वरदा के बाद राजस्व रिकार्ड में कालू एवं चतरू के नाम भूमि दर्ज ना होकर उनके वारिसों के नाम दर्ज है।

7. यह कि सम्वत् 2012 से पूर्व भूमि वरदा पुत्र नाथा के नाम पर दर्ज रही एवं उसके बाद नवीन खसरा नम्बर अंकित हुए तथा पैतृक भूमि का बंटवाडा सम्बन्धित कोई रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

8. वर्तमान में उक्त दोनो आराजीयात पर कोई निर्माण नहीं है। दोनो आराजीयात की किस्म अलग अलग होकर रकबा समान नहीं है। सम्वत् 2012 के रिकार्ड से पूर्व दोनो की किस्म बीड2 रही है।

   रिपोर्ट के साथ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित गत सेटलमेण्ट सम्वत् 2012 की नकलें एवं मौका पर्चा संलग्न कर प्रस्तुत की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच व प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट ने हाजिर होकर राजीनामे पर बहस प्रस्तुत की। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेज राजीनामा, मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से जाहिर आया कि साबिक रेकार्ड मौका रिपोर्ट एवं रिकार्ड सम्वत् 2012 के अनुसार गत सम्वत् 1980 के खसरा नम्बर 1861, 1862, 1865 से आराजी नम्बर 2950 एवं 2951 बने। गत सम्वत् 1980 के रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1861, 1862, एवं 1865 वरदा वल्द नाथा अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत् 2012 के राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा संख्या 2950 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा किस्म बीड2 हरलाल वल्द चतरू अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं आराजी नम्बर 2951 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा किस्म बीड2 गोकल, लच्छीराम पिता कालू अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयात 4233 बारानी 2 साबिक नम्बर 2950 से बना है तथा आराजी संख्या 4235 किस्म बीड2 साबिक आराजी नम्बर 2951 से बना है। तहसीलदार कपासन की मौका रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी दोनो की आराजीयात की किस्म अलग अलग होकर रकबा समान नहीं है। पत्रावली में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सिर्फ राजीनामा पेश किया गया है। वाद पत्र को सिद्ध किये जाने बाबत् वाद सम्बन्धी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे वाद पत्र सिद्ध नहीं होता है।

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रस्तुत राजीनामा खारीज किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested